

**मध्यप्रदेश शासन**  
**तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**  
**कौशल विकास संचालनालय म.प्र.**  
**(मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल)**

**शासकीय आईटीआई में सत्र 2023 में ऑनलाईन प्रवेश**

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा ऑनलाईन सहायता केन्द्रों से [www.dsd.mp.gov.in](http://www.dsd.mp.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालनालय/मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की वेबसाइट [www.dsd.mp.gov.in](http://www.dsd.mp.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु समय चक्र निम्नानुसार है:-

स क्र	की जानी वाली कार्यवाही	निर्धारित तिथियाँ
1.	म. प्र. राज्य एवम राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा आवेदन हेतु प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन।	02-06-2023 से 25-06-2023
2.	आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना / इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार।	12-06-2023 से 25-06-2023
3.	प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना। (प्रवेश पोर्टल द्वारा एसएमएस के माध्यम से आवेदकों को सूचित करना।)	विभाग द्वारा समय- समय पर पृथक से समय सारणी पोर्टल <a href="http://www.dsd.mp.gov.in">www.dsd.mp.gov.in</a> पर जारी की जावेगी।
4.	प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश	

नोट: डीजीटी नई दिल्ली एवं विभाग के आदेशानुसार उपरोक्त दी गयी समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है। अपडेटेड जानकारी [www.dsd.mp.gov.in](http://www.dsd.mp.gov.in) पोर्टल पर देखी जा सकती है।

## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश की पद्धति

1. शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश नहीं होगा। सत्र अगस्त 2023 में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसीलिए मध्यप्रदेश के मूल निवासी के साथ-साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी रजिस्ट्रेशन के पात्र होंगे।
2. रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार एवं इच्छित संस्थाओं में व्यवसायों की प्राथमिकता के क्रम का विकल्प (च्वाईस फिलिंग) तथा च्वाईस फिलिंग में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में 100 विकल्पों को देने की सुविधा दी जा रही है। आवेदकों को समझाईश दी जाती है कि वे अधिक से अधिक व्यवसायों/संस्थाओं के विकल्प भरें ताकि श्रेणी विशेष के आवेदकों की उपलब्धता न होने पर सीटों को अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने की स्थिति में प्रवेश की संभावनायें बनी रहें। पंजीयन के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। इस ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर पर चयन प्रक्रिया एवं चयन होने उपरांत संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि तथा परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करने के लिये उपयोग किया जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से पूर्व ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3. आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों को ही सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
4. अभ्यर्थी पंजीयन हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं अथवा किसी भी ऑनलाईन सहायता केन्द्रों पर जाकर पोर्टल से पंजीयन की कार्यवाही कर सकते हैं।
5. अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 65/- देना होगा, जिसमें से रुपये 15/-पंजीयन के समय तथा रुपये 50/- च्वाईस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो पोर्टल शुल्क राशि रु. 08.50/- देना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन च्वाईस फिलिंग करना चाहेंगे, तो उन्हें च्वाईस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि रु. 50/- देना होंगे।
6. पोर्टल शुल्क अधिकृत ऑनलाईन सहायता केन्द्रों में नगद भुगतान किया जा सकता है अथवा ऑनलाईन पेमेन्ट द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं:-

1. इंटरनेट बैंकिंग
2. ए.टी.एम. सह डेबिटकार्ड
3. क्रेडिट कार्ड
4. UPI ID

## 7. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की विधि -

- उम्मीदवार को सर्वप्रथम **प्रवेश पोर्टल** ([www.dsd.mp.gov.in](http://www.dsd.mp.gov.in)) को खोलना होगा। इस वेबसाइट पर "MP ITI Admission Counselling" प्रदर्शित की गई है।
- आई.टी.आई काउंसलिंग का होम पेज खुलेगा। इस **osc** पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु मोबाईल नं. एवं ईमेल पर **OTP** द्वारा कन्फर्मेशन पश्चात उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नं. एवं पासवर्ड प्रदान किया जावेगा जो कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जावेगा तथा ईमेल पर भी भेजा जावेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन हेतु पेज पर दर्शाई गई अन्य समस्त आवश्यक जानकारियाँ भरना होगा।
- आवेदक को अपना फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
- "**Save/Submit**" option पर क्लिक करें।
- "**Payment for registration**" पर क्लिक करें। इसके उपरांत निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- पंजीयन शुल्क भुगतान कर रसीद Print कर सकते हैं। पंजीयन पूर्ण होने की सूचना कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जावेगी तथा ईमेल पर भी भेजी जावेगी।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही कर ली गई है, इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर एवं ईमेल पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- अभ्यर्थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग, आदि प्रक्रिया हेतु **Tutorial** देख सकते हैं।

## 8. इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना-

- 8.1 अभ्यर्थी व्यवसायों एवं शासकीय आईटीआई का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे।
- 8.2 अभ्यर्थी को आईटीआई तथा ट्रेड में प्रवेश के लिए 100 विकल्पों को पोर्टल पर अंकित करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उदाहरण स्वरूप किसी आवेदक के प्रथम 5 विकल्प निम्नानुसार हो सकते हैं-
  - विकल्प-1. शासकीय आईटीआई भोपाल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड।
  - विकल्प-2. शासकीय आईटीआई भोपाल में फिटर ट्रेड।
  - विकल्प-3. शासकीय आईटीआई नर्मदापुरम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड।
  - विकल्प-4. शासकीय आईटीआई नर्मदापुरम में फिटर ट्रेड।
  - विकल्प-5. शासकीय आईटीआई भोपाल में मशीनिस्ट ट्रेड।

उक्त विकल्पों को भरने के लिए शासकीय आईटीआई का नाम तथा ट्रेड का नाम पॉप-अप मैन्यु से उपलब्ध होगा। अतएव शासकीय आईटीआई एवं व्यवसाय की च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी यह सावधानी रखे की वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं व्यवसायों का चयन करें, जिन व्यवसायों में वे शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक हों तथा संबंधित व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों।

## 9. इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार-

यदि इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन में अंकित की गई जानकारी में कोई त्रुटि हो गई हो, तो इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। त्रुटि सुधार के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 08.50/- पोर्टल शुल्क निर्धारित है।

10. चयन सूची डिस्प्ले करना (पोर्टल द्वारा एसएमएस से आवेदकों को सूचित करना)-

प्रथम चयन सूची को पोर्टल (www.dsd.mp.gov.in) पर प्रदर्शित किया जायेगा। समस्त आवेदक निर्धारित समयचक्र के अनुसार पोर्टल को अवश्य देखें, ताकि उन्हें चयन सूची की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। समस्त आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ईमेल पर मैसेज को अवश्य देखें।

10.1 प्रवेश की कार्यवाही मेरिट अनुसार निर्धारित है। अतएव अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा जो प्राथमिकता के विकल्प दिये हैं यदि उनमें से अभ्यर्थी को प्रथम प्राथमिकता मेरिट के आधार पर प्राप्त होती है तो उसे प्रथम विकल्प आवंटित होगा। यदि प्रथम प्राथमिकता का विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो प्राथमिकता के क्रम में जो भी विकल्प मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा, आवंटित किया जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में से जो व्यवसाय व शासकीय आईटीआई में उसके अनारक्षित मेरिट के आधार पर निर्धारित होगा, वह उच्चतर विकल्प उसकी मेरिट के आधार पर उपलब्ध होने पर आवंटित होगा।

10.2 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उच्चतर विकल्प निम्नानुसार आवंटन किया जावेगा-

(क) अनारक्षित मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प तथा

(ख) उसके आरक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प में से यदि

(क) व (ख) समान हो तो (क) अनुसार सीट आवंटित की जावेगी।

10.3 अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर अनारक्षित मेरिट के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सीटों का आवंटन किया जावेगा। आवंटित विषय/संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में रहेगा।

10.4 सीट आवंटन की जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।

10.5 अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाईट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट संपूर्ण मूल दस्तावेज की छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा:-

- जिन व्यवसायों में 10वीं अर्हकारी है।
- म.प्र. का मूल निवासी/स्थानीय/वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र।
- स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिये)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र।
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र (आवेदक द्वारा दर्शाये गये ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षण संस्था स्तर पर निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा तथा तदनुसार ही प्रवेश की पात्रता हेतु सत्यापन किया जाएगा)
- अन्य संबंधित प्रमाण पत्र।

- 10.6 अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की कार्यवाही संबंधित शासकीय आईटीआई, जहां अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई है, में ही की जायेगी। इस कार्य को करने के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जायेगी समयावधि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं इन शासकीय आईटीआई में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका प्रवेश स्वमेय ही निरस्त हो जायेगा।
- 10.7 उम्मीदवार के सभी मूल अभिलेखों के सही पाये जाने एवं सत्यापन होने के उपरांत ही आईटीआई में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पायी जाती है, तो आईटीआई द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी है।**

11. अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की संकलित सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा इसके उपरांत प्रवेश की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी अर्थात् जो भी स्थान रिक्त रह जायेंगे वह अंततः रिक्त ही रहेंगे।
12. प्रवेश के उपरांत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का ऐसा डाटा जो मेरिट सूची को प्रभावित नहीं करता है जैसे प्रशिक्षणार्थी का नाम/माता का नाम/ पिता का नाम /पता आदि को सही प्रकार से सुधार कर पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिये प्राचार्यों को लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड पोर्टल द्वारा दिया जावेगा। प्राचार्य की यह जवाबदारी होगी कि वे प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा सुधार करें।
13. प्रवेश प्रक्रिया-
- 13.1 चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश - प्रथम चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जायेगा उनके प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार होगी-
- 13.1.1 ऐसा अभ्यर्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा।
- 13.1.2 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है तथा दिये गये अन्य विकल्पों में से किसी विकल्प के अनुसार उन्हें संस्था एवं व्यवसाय आवंटित हुआ है वे प्रवेश के लिए निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं -
- 13.1.3 आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दें -
- यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश ले लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए तो उस स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ ही पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथा स्थिति को प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जायेगा तथा द्वितीय सूची में यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा

भरे गये अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही कर सकता है-

- यदि वे इस अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार प्रवेश ले लेते हैं तो उनके द्वारा प्रथम सूची के तहत लिया गया प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा इस रिक्त सीट की गणना आगामी चयन सूची में सम्मिलित की जायेगी।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेड विकल्प पर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उनका प्रथम सूची के तहत प्रवेश बरकरार माना जायेगा तथा अपग्रेडेड विकल्प की इस सीट को रिक्त मानते हुये रिक्त सीट की गणना आगामी चयन में सम्मिलित की जायेगी।

13.1.4 आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प न दें - यदि अभ्यर्थी उसे आवंटित विकल्प से संतुष्ट है तथा वह अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है तो वे प्रशिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथा स्थिति को प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आगामी चयन सूचियों के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य नहीं किया जायेगा।

13.1.5 आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश न लें- यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश नहीं लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए तो उस स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना है किंतु पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गये अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश ले सकता है किन्तु यदि द्वितीय चयन सूची में भी आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे आवेदक प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

#### 13.2 प्रशिक्षण शुल्क जमा करना -

उक्त तीनों स्थितियों में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करना आवश्यक होगा। यदि प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो आवेदक की प्रवेश की पात्रता समाप्त हो जायेगी। आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है।

### 14. संस्था स्तर पर प्रवेश-

- 14.1 **संस्थावार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या को पोर्टल पर प्रदर्शित करना-** चयन सूची को जारी करने के उपरांत संस्थावार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या को पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 14.2 **राज्य के बाहर के आवेदकों का प्रवेश-** महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में प्रवेश के निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपालन में राज्य के बाहर के आवेदकों को प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अवसर दिए जायेंगे तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची ओपन राउंड में जारी की जावेगी।

14.3 **नवीन रजिस्ट्रेशन एवं त्रुटि सुधार-** पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि आवेदक त्रुटिवश अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगेरी/जन्म तिथि/जिला आदि को गलत दर्शा देते हैं जिसके कारण उनका नाम चयन सूची में आ जाता है, किंतु जब वे प्रवेश के लिए संस्था में उपस्थित होते हैं, तो त्रुटि पता चलने पर उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगेरी/जन्म तिथि/जिला आदि से संबंधित फील्ड्स में गलत जानकारी भरी हो, वे भी इन त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे तथा ऐसे आवेदक रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हो सकेंगे। साथ ही ऐसे आवेदक जो कतिपय कारणों से पूर्व में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही नहीं कर पाये थे वे भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही वे उपलब्ध सीटों के लिए संस्था एवं व्यवसाय का विकल्प भर सकेंगे।

14.4 **ओपेन राउण्ड -** नवीन रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व के रजिस्ट्रेशन को मिलाकर पंचम चयन सूची जारी की जाएगी जिसमें राज्य के बाहर के आवेदक भी सम्मिलित होंगे तथा समस्त सीटों का कंवर्जन किया जायेगा तथा संस्थावार, व्यवसायवार शेष सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची सहित मेरिट सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी।

14.5 **सीएलसी राउण्ड-** निर्धारित तिथि को मेरिट सूची के आवेदकों को संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। निर्धारित समय तक उपस्थित आवेदकों का पंजीकरण किया जाएगा तथा इनकी उपस्थिति प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उपस्थित आवेदकों की चयन सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

14.6 **पहले आओ पहले पाओ-** सीएलसी राउण्ड के पश्चात भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो विभाग द्वारा नियमानुसार संस्था स्तर पर आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ पद्धति से प्रवेश दिया जावेगा।

14.7 **आठवीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया -**

- प्रवेश के लिये इच्छुक ऐसे आवेदक, जिन्होंने पोर्टल पर वुड वर्क टेक्निशियन(कारपेंटर), ड्रेसमैकिंग, मेसन, स्विंग टेक्नोलॉजी, पेंटर जनरल व्यवसाय में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग की हो, के लिए संबंधित शासकीय आईटीआई में आरक्षण के नियम का पालन करते हुए प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया नियमित प्रवेश प्रक्रिया के समान ही की जावेगी।

15. **प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की प्रणाली-**

15.1 **रजिस्ट्रेशन -**प्रत्येक अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का फार्म शासकीय/प्रायवेट आईटीआई के लिए सामान होगा।

15.2 **च्वाइस फिलिंग-** समस्त प्राइवेट आईटीआई में संस्थावार, व्यवसायवार प्रवेश की सीटों का विवरण तैयार किया जायेगा जिसके आधार पर आवेदक प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश का विकल्प प्रदर्शित कर सकेगा। प्राइवेट आईटीआई के लिए इच्छुक आवेदकों को भी 100 विकल्प भरने के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

- 15.3 रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग के शुल्क की राशि शासकीय एवं निजी आईटीआई में समान रहेगी।
- 15.4 संस्थावार आवेदको की सूची:-पोर्टल द्वारा आईटीआईवार ट्रेडवार अभ्यर्थियों की सूची जारी की जायेगी।
- 15.5 दस्तावेजों का परीक्षण- अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व स्थानीय शासकीय आईटीआई के प्राचार्य से दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक होगा। यदि स्थानीय शासकीय आईटीआई उपलब्ध न हो तो नजदीकी किसी भी शासकीय आईटीआई के प्राचार्य से दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे। अभ्यर्थी को जिस भी निजी आईटीआई में प्रवेश लेना है, से संबंधित निजी आईटीआई के लेटरहेड पर यह सत्यापित कराना होगा कि निजी आईटीआई के प्राचार्य ने अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कर ली गई है तथा प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर यथा वेरीफिकेशन होने की जानकारी प्रविष्टि की जायेगी।
- 15.6 संबंधित निजी आईटीआई के प्राचार्य द्वारा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी। इसके पश्चात ही अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण माना जावेगा।



## सत्र अगस्त 2023 के लिये मध्यप्रदेश की आईटीआई में प्रवेश हेतु विवरण

### 1. **भूमिका-**

आईटीआई में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उद्योगों के लिए कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति की जा सकें तथा आवेदक स्वयं के लघु उद्योग/स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

### 2. **सामान्य जानकारी-**

2.1 आई.टी.आई. में जो व्यवसाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) की मान्यता के हैं, उनमें परीक्षा के उपरांत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है। जिन व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) की मान्यता नहीं है, उनमें परीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) के अंतर्गत संचालित की जाती है तथा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है।

2.2 प्रवेश प्रवीणता के आधार पर निर्धारित आरक्षण के अनुसार दिया जावेगा।

2.3 प्रवेश की कार्यवाही व्यवसायवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची बनाकर की जावेगी।

2.4 प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन पांच घण्टे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं। शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।

2.5 प्रवेश लेने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

2.6 प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

2.7 लगातार 10 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संबंधित प्राचार्य द्वारा 03 लिखित चेतावनी जारी की जावेगी तत्पश्चात भी प्राशिक्षार्थी के उपस्थित न होने पर निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

2.8 संस्था से निष्कासन एवं परीक्षा में निर्धारित पात्रता न होने पर सम्मिलित होने से रोकने के लिए प्राचार्य एवं उनसे उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे ।

2.9 प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षार्थी को कोई चोट/हानि पहुँचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिसके लिये प्रवेश के समय आवेदक को संलग्न प्रपत्र-11 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.10 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। केन्द्र शासन के अंतर्गत आने वाले अन्य राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों को उनके स्थानांतरण आदेश के आधार पर उनके पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश के लिए आवेदन की पात्रता होगी ।

### 3. प्रशिक्षण शुल्क-

प्रशिक्षण शुल्क राशि रू. 4850/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष है। समस्त आवेदकों को प्रवेश के समय प्रशिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत संस्था छोड़ना चाहता है, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण शुल्क, कॉशनमनी, परीक्षा फीस, आदि राजसात किया जावेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण शुल्क संबंधित विभाग की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति हो सकेगी। सामान्य निर्धन वर्ग के आवेदकों की प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति आईटीआई की अवधि पूर्ण होने पर आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण शुल्क आवेदक को वापस किया जायेगा।

### 4. आयु सीमा-

सभी व्यवसायों के लिये उम्मीदवारों की आयु 01 अगस्त, 2023 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। ड्रोन व्यवसाय हेतु उम्मीदवारों की आयु 01 अगस्त, 2023 को 16 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये।

### 5. व्यवसायवार शैक्षणिक योग्यता-

- 5.1 विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी परिशिष्ट-1 पर है। आवेदक यह भलीभांति जांच लेवें, कि वे संबंधित व्यवसायों के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हैं अथवा नहीं।
- 5.2 वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षा फल बेस्ट आफ फाइव के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जो गणित/विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हुए भी दसवीं उत्तीर्ण माने जाते हैं। ऐसे सभी व्यवसाय (आईटीआई ट्रेड) जिनकी शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल परीक्षा गणित/विज्ञान के साथ उत्तीर्ण उल्लेखित है, में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- 5.3 व्यवसाय वुड वर्क टेक्नियन(कारपेंटर), ड्रेसमैकिंग, मेसन, सुईंग टेक्नोलॉजी, पेंटर जनरल में प्रवेश के लिये शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी।

### 6. संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश की सीटें-

आई.टी.आई. के नाम तथा उनमें व्यवसायों के लिए स्थानों का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा। एस.सी.व्ही.टी. के तहत व्यवसायों के अंतर्गत दर्शाई गई संस्थाओं के व्यवसायों में प्रवेश तथा परीक्षा की कार्यवाही राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) के अंतर्गत की जावेगी।

### 7. प्रवेश में आरक्षण-

- 7.1 प्रत्येक व्यवसाय में 50 प्रतिशत स्थान उस जिले के आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिस जिले में संस्था स्थापित है तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान प्रदेश के आवेदकों से भरे जावेंगे। जिले के आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर ओपन राउण्ड में प्रदेश के आवेदकों से भरे जा सकेंगे।

## 7.2 वर्टीकल आरक्षण

- 1- अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत
- 2- अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत
- 3- पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न स्तर को छोड़कर) 14 प्रतिशत  
(किसी भी प्रकार का संशोधन राज्य शासन के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा। यदि किसी चलित एलाटमेंट की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण संशोधन संबंधित आदेश पारित होता है तो यह अगले एलाटमेंट से लागू होगा।)
- 4- आर्थिक रूप से कमजोर (सामान्य) 10 प्रतिशत

7.2.1 आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कन्वर्जन राउण्ड उपरांत रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तन कर भरा जावेगा:-

7.2.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे, तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी से भरे जावेंगे।

7.2.3 ऐसे आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों जो स्वयं की योग्यता के आधार पर निर्धारित सामान्य मापदण्ड के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता क्रम सूची में चयनित हो जायेंगे, उनकी गणना सामान्य श्रेणी में ही की जायेगी।

## 7.3 होरिजोन्टल आरक्षण -

7.3.1 महिलाओं के लिए - मध्यप्रदेश की महिला नीति के अन्तर्गत पुरुष आई.टी.आई. में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये निम्न प्रावधान अनुसार आरक्षित किये गये हैं -

1. 30 प्रतिशत आरक्षण वर्टीकल एवं होरिजोन्टल श्रेणी में होगा ।
2. किसी भी वर्टीकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजोन्टल वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी/वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

7.3.2 निःशक्तजन आवेदक- ऐसे आवेदक जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा है, के लिये 6 प्रतिशत (अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित प्रत्येक को 2-2 प्रतिशत) सीटें आरक्षित हैं।

7.3.2.1 श्रवण बाधित आवेदकों के लिये- सत्र अगस्त 2023 में शत प्रतिशत श्रवण बाधित आवेदकों के लिए निम्न संस्थाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

स.क्र	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम	कुल सीट
1	संभागीय जबलपुर	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
2	संभागीय उज्जैन	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	12
3	संभागीय इंदौर	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
4	संभागीय भोपाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
5	संभागीय रीवा	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	12
		कुल योग	96

ऐसे आवेदक जो शत-प्रतिशत श्रवण बाधित की श्रेणी में आते हों, वे उक्त संस्थाओं में दर्शाये गये व्यवसायों के लिये आवेदन कर सकेंगे। जो आवेदक शत-प्रतिशत श्रवण बाधित नहीं है तथा श्रवण यंत्रों का उपयोग कर सुनने की दक्षता रखते हों, वे किसी भी संस्था के लिये आवेदन कर सकते हैं।

यदि इन संस्थाओं में दर्शाए गए व्यवसायों में उपलब्ध स्थानों के विरुद्ध आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो श्रवण बाधित अन्य आवेदक भी प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। अतएव यह सलाह दी जाती है कि ऐसे आवेदक जो शत प्रतिशत श्रवण बाधित नहीं हैं वे भी इन संस्थाओं के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

**7.3.2.2 दृष्टि बाधित आवेदकों के लिये-** सत्र अगस्त 2023 में शत प्रतिशत दृष्टि बाधित आवेदकों के लिये निम्न संस्थाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

स.क्र	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम	कुल सीट
1	संभागीय जबलपुर	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
2	संभागीय उज्जैन	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	12
3	संभागीय भोपाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
4	संभागीय रीवा	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24
5	संभागीय ग्वालियर	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	12
		योग	96

ऐसे आवेदक जो शत-प्रतिशत दृष्टि बाधित की श्रेणी में आते हों, वे उक्त संस्थाओं में दर्शाये गये व्यवसायों के लिये आवेदन कर सकेंगे। जो आवेदक शत-प्रतिशत दृष्टि बाधित नहीं है, वे किसी भी संस्था के लिये आवेदन कर सकते हैं।

यदि इन संस्थाओं में दर्शाए गए व्यवसायों में उपलब्ध स्थानों के विरुद्ध आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो दृष्टिबाधित अन्य आवेदक भी प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। अतएव यह सलाह दी जाती है कि ऐसे आवेदक, जो शत प्रतिशत दृष्टि बाधित नहीं हैं, वे भी इन संस्थाओं के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

**7.3.2.3 अस्थि बाधित आवेदकों के लिये-** अस्थि बाधित आवेदक डीजीटीनई दिल्ली द्वारा निर्धारित व्यवसायों के मापदण्डों (<https://www.cstaricalcutta.gov.in/>) अनुसार किसी भी संस्था में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

**7.3.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन -03 प्रतिशत**

**7.3.4 सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/ उपलब्ध न होने पर सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक/ अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत (अधिकतम 10 स्थान प्रति संस्था)**

**7.3.5 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों संचालनालय कौशल विकास तथा मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अधीन कार्यरत/सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के पति/पत्नी तथा पुत्र/पुत्रियों के लिए 05 प्रतिशत।**

7.3.6 शासकीय आईटीआई के प्रवेश में एनसीसी के 'ए' 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिये स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 2 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

7.3.7 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों के लिये राज्य में स्थित प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक-एक स्थान निर्धारित किया गया है। इसके लिये उम्मीदवार को जम्मू एवं कश्मीर के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा संस्था में विस्थापितों से प्राप्त आवेदन पत्रों में मैरिट के आधार पर अधिकतम प्राप्तांक के विस्थापित को प्रवेश दिया जायेगा।

7.3.8 पंजीकृत अनाथालय में पलने वाले अनाथों के लिये प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक व्यवसाय में एक उम्मीदवार को (किसी भी संस्था में 3 स्थान से अधिक नहीं) प्रवेश दिया जावेगा। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला कार्यालय विभाग द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य किया जावेगा ।

## 8. इयूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश -

**परिचय एवं उद्देश्य-** भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा इयूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा आईटीआई के समन्वय से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संचालित करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का क्रियान्वयन आई.टी.आई. एवं संबंधित उद्योगों में किया जायेगा। **एक वर्षीय व्यवसाय में 03 से 06 माह तथा दो वर्षीय व्यवसाय में 06 से 12 माह का प्रशिक्षण औद्योगिक प्रतिष्ठान में संपादित होगा।** इस प्रशिक्षण के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं -

1. इस पद्धति के अंतर्गत आईटीआई तथा प्रतिष्ठान आपसी सामन्जस्यता से प्रशिक्षण की अवधि को ब्लाक मोड में (आईटीआई में कुछ महीने तथा प्रतिष्ठान में कुछ महीने) या मिश्रित मोड (सप्ताह में कुछ दिवस आईटीआई में तथा शेष दिवस प्रतिष्ठानों) में निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
2. आईटीआई तथा इण्डस्ट्री के मध्य निर्धारित एमओयू निष्पादित किया जायेगा। यह एमओयू बैचवाइस यूनिट तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुसार होगा। एमओयू के क्रियान्वयन की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी जो आपसी सामन्जस्यता से भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी।
3. एमओयू के उपरांत प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग आईटीआई तथा संबंधित इण्डस्ट्री/आर्गनाइजेशन की होगी।
5. आईटीआई तथा इण्डस्ट्री पार्टनर्स इंटरनल असेसमेंट करेंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा डीजीटी द्वारा आयोजित की जायेगी।
6. प्रशिक्षणार्थी क्राफ्ट्समेन ट्रेनिंग स्कीम के तहत इयूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए निर्धारित फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
7. राज्य शासन तथा महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली के अधिकारी आईटीआई तथा इण्डस्ट्री में आयोजित प्रशिक्षण का निरीक्षण कर सकेंगे।
8. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार की अप्रेन्टिसशिप स्कीम (नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम) से भिन्न है।
9. इण्डस्ट्री/आर्गनाइजेशन पर प्रशिक्षणार्थियों को कोई राशि भुगतान करने की बाध्यता नहीं है।

10. इयूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं परीक्षा के उपरांत उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र/ राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जावेगा।

**प्रशिक्षणार्थियों को होने वाले लाभ -**

1. उद्योग का परिचय एवं उद्योग के प्रति जागरूकता।
2. उद्योग में सीधे कार्य का अनुभव प्राप्त करना।
3. भविष्य में उद्योग में कार्य करने के अवसर में वृद्धि।
4. रोजगार अवसर में वृद्धि।
5. आई.टी.आई. एवं उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
6. उद्योगों में उपलब्ध नवीनतम एवं अद्यतन तकनीक का अनुभव।

**डीएसटी के तहत प्रवेश की कार्यवाही केवल तृतीय पाली में की जाएगी।**

सत्र अगस्त 2023 में जिन संस्थाओं में, जिन व्यवसायों में डीएसटी के तहत प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा, उसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

**चयन प्रक्रिया-** इयूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश के लिये चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

**आवेदकों की पात्रता का निर्धारण -** निम्न विवरण अनुसार ही आवेदक पात्र होंगे -

- 8.1 **आयु सीमा-** आईटीआई में प्रवेश के लिये सभी व्यवसायों के लिये उम्मीदवारों की आयु 01 अगस्त, 2023 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। डीएसटी के तहत प्रशिक्षण संचालित करने के लिये उद्योगों से हुए विचार-विमर्श में यह समक्ष में आया है कि सभी उद्योग 18 वर्ष पूर्ण किये हुए युवाओं को ही उद्योग में प्रशिक्षण के लिये मान्य कर रहे हैं। अतएव डीएसटी में प्रवेश के लिये आयु 01 अगस्त, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है।
- 8.2 **महिला एवं पुरुष आवेदकों की पात्रता का निर्धारण-** डीएसटी के तहत प्रशिक्षण संचालित करने के लिये उद्योगों से हुए विचार-विमर्श में यह समक्ष में आया है कि कुछ उद्योग केवल पुरुष आवेदकों को ही प्रशिक्षण के लिये चयन करना चाहते हैं तथा कुछ उद्योग केवल महिला आवेदक को चयन करना चाहते हैं एवं कुछ उद्योग पुरुष / महिला आवेदक दोनों को ही प्रशिक्षण के लिये चयन करना चाहते हैं। अतएव डीएसटी में प्रवेश के लिये पोर्टल पर ऐसी संस्था, जिनमें उद्योग पुरुष या महिला आवेदकों का चयन नहीं चाहते हैं, ऐसी संस्थाओं में पुरुष या महिला आवेदकों के लिये संबंधित ट्रेड के चयन का विकल्प प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
- 8.3 **शैक्षणिक योग्यता तथा बैच साईज-** प्रशिक्षण की अवधि तथा प्रत्येक बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित होगी।
- 8.4 **चयन प्रक्रिया -**
  - 8.4.1 **संस्था एवं ट्रेड का विकल्प-** डीएसटी में प्रवेश के लिये संस्थावार, ट्रेडवार सीटों की संख्या का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। पोर्टल पर उद्योगों का नाम भी प्रदर्शित किया जायेगा, ताकि समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी प्राप्त हो सके। प्रवेश के विकल्प 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे। इस प्रकार पात्र आवेदक सामान्य प्रवेश के साथ-साथ डीएसटी में भी प्रवेश का विकल्प भर सकेंगे।

- 8.4.2** **मैरिट सूची-** मैरिट सूची निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों पर आधारित होगी। पोर्टल पर मैरिट सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा आवेदकों को संस्था में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया जायेगा।
- 8.4.3** **साक्षात्कार-** औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा तथा साक्षात्कार के आधार पर चयनित आवेदकों की सूची जिस दिवस साक्षात्कार होगा, उसी दिवस को समय 03:00 बजे चस्पा की जायेगी। यदि साक्षात्कार के लिए प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो मैरिट सूची अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 8.4.4** **प्रवेश-** इस प्रकार आवेदक को यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसका चयन डीएसटी के तहत प्रशिक्षण में हुआ है अथवा नहीं। यदि आवेदक का चयन डीएसटी में हुआ है तथा साथ-ही-साथ सामान्य प्रवेश के तहत भी हुआ है, तो आवेदक को किसी एक ही प्रणाली में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा जिस प्रणाली के तहत प्रवेश लिया जायेगा, उस स्थिति में दूसरी प्रणाली के तहत उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा। डीएसटी प्रणाली में अपग्रेडेशन, इंटरनल स्लाईडिंग आदि की सुविधा नहीं होगी।
- 9.** पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत संचालित शासकीय आईटीआई में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से प्रवेश का विवरण
- 9.1** केन्द्र शासन की "पीपीपी मोड में आईटीआई का उन्नयन" के तहत सम्मिलित 74 संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के तहत संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या पोर्टल पर रहेगी।
- 9.2** इन सीटों का प्रशिक्षण शुल्क शासन के आदेशानुसार एक वर्ष के लिये ₹ 15000/- एवं दो वर्ष के लिये ₹ 20000/- लिया जावेगा। वर्ष 2023 में पीपीपी मोड के अंतर्गत संचालित आईटीआई के ऐसे व्यवसाय, जिनमें पूर्व वर्षों में सीटें रिक्त रही हैं, में सीटीएस व्यवसायों के समान शुल्क लिया जावेगा। ऐसे आईटीआई एवं व्यवसायों की जानकारी [dsd.mp.gov.in](http://dsd.mp.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।
- 9.3** इन सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।
- 9.4** समस्त आवेदक जो आईएमसी के कोटे की सीटों में प्रवेश के इच्छुक होंगे उन्हें भी एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथि अनुसार ही आवेदन करना आवश्यक होगा। यदि आवेदक गैर आई.एम.सी. की सीटों के लिए भी अपना विकल्प देना चाहेंगे तो इसके लिए उन्हें पृथक से चर्चा देना आवश्यक होगा।
- 9.5** आईएमसी की सीटों पर प्रवेश के लिये चयन सूची सामान्य चयन सूची के साथ ही जारी की जायेगी।
- 9.6** यदि किसी आवेदक का चयन सामान्य सूची में तथा आईएमसी की सीटों की सूची में, दोनों में हो जाता है और यदि आवेदक आईएमसी की सीट पर प्रवेश लेना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा आईएमसी की सीट हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आगामी सूचियों के लिए आवेदक की आईएमसी की सीटों के लिए पात्रता मान्य नहीं होगी। यदि आवेदक द्वारा आईएमसी की सीट पर प्रवेश ले लिया जाता है तथा बाद में सामान्य मैरिट सूची में आवेदक को उनकी इच्छा का विकल्प अनुसार चयन हो जाता है तो वे सामान्य सूची अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य प्रशिक्षण शुल्क (4850/-) जमा नहीं करना पड़ेगा।

10. **10 संभागीय आईटीआई में प्रवेश-** मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक 706/1110/2018/42-2 दिनांक 27 मार्च 2019 द्वारा निम्नानुसार आईटीआई को समायोजित की गई हैं। स्पष्ट किया जाता है कि इन संस्थाओं में सत्र अगस्त 2023 से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीव्हीटी)/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीव्हीटी) की अंकसूची एवं नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट (एनटीसी)/ स्टेट ट्रेड सर्टीफिकेट (एसटीसी) संभागीय आईटीआई के नाम से ही प्राप्त होगा। संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है -

स.क्र.	संभागीय आईटीआई का नाम	सम्मिलित संस्थायें
1.	भोपाल	आदर्श भोपाल, महिला भोपाल, गैस भोपाल
2.	इंदौर	इंदौर, महिला इंदौर, अपंग इंदौर
3.	जबलपुर	आदर्श जबलपुर, महिला जबलपुर
4.	रीवा	रीवा, महिला रीवा
5.	शहडोल	शहडोल
6.	ग्वालियर	ग्वालियर, महिला ग्वालियर
7.	उज्जैन	उज्जैन, महिला उज्जैन
8.	सागर	सागर, महिला सागर
9.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
10.	भिण्ड	भिण्ड

11. **विशिष्ट संस्थाएँ तथा उनमें आरक्षण -**

स.क्र.	विवरण	संस्थाओं के नाम	आरक्षण
1-	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए - एकलव्य आईटीआई	1. धार (सह-शिक्षा) , 2. महिला आईटीआई बैतूल (केवल महिलाओं के लिए) , 3. खेड़ी खालवा जिला खण्डवा (सह-शिक्षा) , 4. चकल्दी, जिला सीहोर (सह-शिक्षा)	1-प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी, जिसमें राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 16, 20 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा। 2. योजना का लाभ केवल अनुसूचित जनजाति के लिये ही होगा, अन्य वर्ग के लिये नहीं (छात्रवृत्ति तथा भोजन व्यवस्था) 3. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।
2-	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए (आदिम जाति कल्याण विभाग से पूर्व में हस्तांतरित आईटीआई )	1. बेहर, 2. धामनोद, 3. पीथमपुर, 4. महिला आदिवासी आईटीआई छिंदवाड़ा, 5. महिला सिंघाना 6. आईटीआई मंडला	1-प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी, जिसमें राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 16, 20 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा।

स.क्र.	विवरण	संस्थाओं के नाम	आरक्षण
			2. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।
3-	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए) डॉ. अम्बेडकर आईटीआई	1. मुरैना (केवल पुरुषों के लिए), 2. महिला आईटीआई सीहोर,	1-प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी जिसमें राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 16, 20 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा।  2. योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लिये ही होगा अन्य वर्ग के लिये नहीं (छात्रवृत्ति एवं भोजन व्यवस्था)  3. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।
4	केवल डूब से प्रभावित परिवारों, विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों के लिए	आईटीआई नर्मदानगर	केवल डूब से प्रभावित परिवारों, विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों को प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर अन्य (बाहरी) पात्र आवेदकों को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रवेश दिया जा सकेगा।  1. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त परियोजनायें या इंदिरा सागर सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, मानसरोवर एवं जोबट परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।  2. सर्व परियोजना के बच्चों एवं पाल्यों को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।  3. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित उपर्युक्त परियोजना में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे और इसमें इंदिरा सागर परियोजना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नर्मदा नगर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5-	गैस त्रासदी के पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को	संभागीय आईटीआई भोपाल के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है।	संभागीय आईटीआई भोपाल में गैस त्रासदी के पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्रियों के (मध्यप्रदेश शासन गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास पत्र क्रमांक एफ-5-53-2002/47 दिनांक 26.8.2004) के लिये आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर अन्य आवेदकों से निर्धारित आरक्षण कंडिका क्रमांक 7.2

स.क्र.	विवरण	संस्थाओं के नाम	आरक्षण
			अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
6-	वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित बालाघाट जिले में	आईटीआई पालडोंगरी जिला बालाघाट	केवल बालाघाट जिले के युवको को ही प्रवेश की पात्रता होगी। स्थान रिक्त रहने पर अन्य आवेदकों से निर्धारित आरक्षण अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
7-	मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटे	संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या परिशिष्ट-दो पर है।	केन्द्र शासन की "पीपीपी मोड में आईटीआई का उन्नयन के तहत सम्मिलित 74 संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के तहत संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या परिशिष्ट-2 पर है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए प्रशिक्षण शुल्क शासन के आदेश अनुसार एक वर्ष के लिये रु. 15000/- एवं दो वर्ष के लिये रु. 20000/- निर्धारित है।
8-	महिला आईटीआई	महिला छिंदवाडा महिला आदिवासी छिंदवाडा महिला खण्डवा महिला रतलाम महिला बैतूल (एकलव्य) महिला सिंधाना महिला सीहोर (डॉ अंबेडकर)	इन संस्थाओं में केवल महिला आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर आरक्षण अनुसार पुरुष आवेदकों से सीटे भरी जायेंगी।

**12. छात्रवृत्ति:-** आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति से संबंधित योजनायें निम्नानुसार हैं -

क्र.	योजना का नाम	विवरण
1.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना अनुसूचित जाति विकास एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।
2.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा संचालित की जाती है।
3.	दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के द्वारा संचालित की जाती है।
4.	निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत सम्मिलित की गई है।
5.	मेरिट छात्रवृत्ति	यह विभागीय योजना है
6.	एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह विभागीय योजना है
7.	डॉ. अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	यह विभागीय योजना है

- I. **अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति** - यह योजना आयुक्त अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा एन.आई.सी. के पोर्टल MPTAAS के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- II. **अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति** - अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति को मध्यप्रदेश शासन के जन जातीय कार्य विभाग मंत्रालय के द्वारा उनके विभागीय पोर्टल- MPTAAS के माध्यम से प्रवेशित प्रशिक्षण सत्र 2018-19 से प्रारंभ की गई है जिसमें अनुसूचित जनजाति के पात्र प्रशिक्षणार्थियों को इस योजना का लाभ सीधे उनके खाते में पर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- III. **मुख्य मंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना** - विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र प्रशिक्षणार्थी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हैं तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1,20,000/- से अधिक न हो, से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता था जिसकी पूर्ति शासन स्तर पर बजट आवंटन करते हुए की जाती थी। म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42(2), भोपाल, दिनांक 09.07.2018 के तहत इस योजना को अतिक्रमित करते हुए म.प्र. के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की सन्तान को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्य मंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना सत्र 2018-19 से लागू की गई।
- IV. **पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति-** यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पात्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के प्रशिक्षणार्थियों को एन.आई.सी. के द्वारा निर्मित किये गये छात्रवृत्ति पोर्टल MPTAAS के माध्यम से किया जाता है।
- V. **दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति-** यह योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय के द्वारा संचालित है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित दिव्यांगों को समय-समय पर उनके द्वारा निर्धारित दर से छात्रवृत्ति का भुगतान जिला स्तर पर समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। इस छात्रवृत्ति योजना की गाइडलाईन, पात्रता की शर्तें, राशि एवं अन्य शर्तें संबंधित विभाग की वेबसाइट - [www.disabilityaffairs.gov.in](http://www.disabilityaffairs.gov.in) एवं [www.socialjustice.mp.gov.in](http://www.socialjustice.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।
- VI. **सामान्य निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति** - यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में सम्मिलित की गई है।
- VII. **मैरिट छात्रवृत्ति** - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी की संख्या के 4 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को राशि रुपये 125/- प्रति माह से मेरिट छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति का भुगतान संस्था प्रमुख के माध्यम से किया जाता है। यह योजना 2002-03 से लागू है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ वर्ष अगस्त माह से होता है। लगभग चार माह पश्चात संस्था स्तर पर इस छात्रवृत्ति की पात्रता के लिये परीक्षा ली जाती है एवं मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है।

VIII. एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को एवं डॉ० अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति- राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों के लिये एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं धार (बालकों के लिए) एवं बैतूल में (महिलाओं हेतु) तथा अनसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों के लिये डॉ० अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं मुरैना (बालकों के लिये) एवं सीहोर में (महिलाओं हेतु) प्रारंभ की गई है। वर्ष 2013 में एकलव्य आई.टी.आई के तहत दो नवीन आईटीआई क्रमशः आई.टी.आई. खेड़ी (खालवा) जिला खंडवा तथा चकल्दी (जिला सीहोर) प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत इन संस्थाओं में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को राशि रुपये 1000/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान संस्था प्रमुख के माध्यम से किया जाता है।

### 13. जमानत राशि -

13.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को भर्ती के समय 250/- (राशि रुपये दो सौ पचास मात्र) जमानत राशि कॉशनमनी के रूप में जमा करने होंगे। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जा सकेगी, परन्तु यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जानबूझकर साज-सामान को गुम करता है या टूट फूट करता है तथा उसके लिये जिम्मेदार पाया जाता है अथवा बिना किसी ठोस कारण के प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है, तो यह राशि राजसात कर ली जायेगी। साथ ही व्यवसाय परिवर्तन की स्थिति में भी राशि राजसात की जावेगी।

13.2 गुम हुई या टूट फूट होने वाली सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है, तो शेष राशि अलग से वसूल की जायेगी।

13.3 प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के तीन वर्ष तक यदि यह राशि वापिस नहीं ली जा सकी तो, फिर नियमानुसार यह राजसात की जायेगी एवं राज्य कोषालय में जमा करा दी जायेगी।

### 14. परिवीक्षा -

14.1 प्रशिक्षण अवधि में संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन प्रशिक्षणार्थियों को करना होगा।

14.2 एक माह अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रुझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।

### 15. अनुशासन-

संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर उनके विरुद्ध प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जोकि (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना इत्यादि हो सकती है।

### 16. निष्कासन-

16.1 प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात् भी चाही गयी आवश्यक जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर।

16.2 प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत/भ्रामक पाये जाने पर (आवश्यकतानुसार) प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही के लिये भेजा जा सकता है।

16.3 संस्था के कार्यशाला, छात्रावास, पठन-पाठन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दुराचरण करने पर।

- 16.4 प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अथवा प्रगति असंतोषजनक होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने पर ।
- 16.5 आवेदक को भर्ती के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय के किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर।
- 16.6 प्रवेश लेने के बाद यदि शिकायत प्राप्त होती है कि प्रवेश गलत हुआ है, तो जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
17. **अपील-** प्रवेश निष्कासन इत्यादि संबंधी शिकायत अथवा अपील संयुक्त संचालक (औ.प्र.सं.) क्षेत्रीय कार्यालय को सामान्यतः एक माह के अंदर प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थी/अपीलकर्ता के लिये संयुक्त संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारक होगा।
18. **परीक्षा हेतु सूचनाएँ:-**
- 18.1 नियमित प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 80 प्रतिशत उपस्थिति की गणना वास्तविक उपस्थिति के आधार पर होगी।
- 18.2 व्यवसाय में प्रायोगिक परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड थ्योरी (व्यवसाय थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साइंस), एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परीक्षाएँ तथा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, जिसमें अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 18.3 प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा थ्योरी विषयों में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
19. **परीक्षा शुल्क-** नियमित प्रशिक्षणार्थी से प्रथम प्रयास (1 एवं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम) के लिए परीक्षा शुल्क की राशि रु. 500/- प्रति वर्ष निर्धारित है। यदि प्रशिक्षणार्थी अनुत्तीर्ण होता है, तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पृथक से परीक्षा शुल्क देना होगा।
20. **छात्रावास शुल्क-** छात्रावास में रहने वाले समस्त छात्रों (अना. एससी, एसटी, अ.पि.वर्ग, ईडब्ल्यूएस) के लिये राशि रु 100/- प्रतिमाह लिया जावेगा । उक्त राशि आईटीआई के विकास निधी खाते में रखी जावेगी, जिससे प्राचार्य, आईटीआई छात्रावास की साफ-सफाई तथा माइनर रिपेयरिंग का कार्य करवा सके।
21. **अन्य शुल्क-**
- 21.1 साइकिल स्टेण्ड शुल्क:- संस्था मे यदि साइकिल स्टेण्ड स्थित है तो संस्था/आईएमसी द्वारा निर्धारित साइकिल स्टेण्ड की राशि जमा करना होगी जो कि वार्षिक होगी।
22. **प्रशिक्षणार्थियों के स्थानांतरण-**
- 22.1 आईटीआई में परीक्षा की कार्यवाही ऑनलाईन पद्धति से होती है। ये कार्यवाहियाँ पोर्टल पर आधारित होती हैं। इसीलिए आवेदक का आईटीआई में प्रवेश होने के बाद स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। अतएव सभी आवेदकों से यह अपेक्षा है कि वे प्रवेश लेने के पूर्व सोच समझकर निर्णय लें, ताकि आगे कठिनाई न हो।

## 23. प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश पात्रता-

23.1 एक वर्ष में 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। आकस्मिक अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा।

23.2 चिकित्सा अवकाश- रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टिशनर/असिस्टेन्ट सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी की दशा में एक वर्षीय कोर्स में तीन सप्ताह तथा दो वर्षीय कोर्स में छः सप्ताह अधिकतम अवकाश डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि प्रशिक्षणार्थी बीमारी के कारण दो माह तक गैर हाजिर रहता है, तो उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जावेगा। जिसका पुनः प्रवेश क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जा सकेगा।

23.3 विशेष अवकाश- 10 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 15 दिवस तक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 30 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। विशेष अवकाश अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, यदि वह छात्रवृत्ति प्राप्त करता है।

## 24. सुविधायें-

24.1 जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिमाह निर्धारित दर से विद्युत/जलप्रदाय हेतु प्रवेश के समय पूरे वर्ष की राशि एक मुश्त ली जाती है। अनुशासनहीनता या स्वेच्छा से छात्रावास से मुक्त किये जाने पर पूर्व में ली गई राशि वापिस नहीं होगी। छात्रावास में रहने के लिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण होगा।

25. समस्त आवेदकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि आईटीआई में एक एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं। समीक्षात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-

**राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत पाठ्यक्रम:** यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा एफिलिएटेड (संबद्धिकरण) होते हैं। प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आयोजित होती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट) प्राप्त होता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को पूरे राष्ट्र में रोजगार के अवसरों की पात्रता होती है।

**राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत पाठ्यक्रम:** यह पाठ्यक्रम राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा एफिलिएटेड (संबद्धिकरण) होते हैं। प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आयोजित होती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (स्टेट ट्रेड सर्टीफिकेट) प्राप्त होता है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत संचालित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही होता है, किन्तु प्रक्रियात्मक रूप से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से व्यवसाय की मान्यता न होने के कारण राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।

**26. प्रमाण पत्रों की जानकारी :-**

- 30.1 **जाति प्रमाण पत्र-** वर्तमान में एससी, एसटी एवं अ.पि.वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी मान्य किया जाता है। यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है, तो जाति प्रमाण पत्र भी मध्यप्रदेश का होना आवश्यक है। अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा तथा उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ ही यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है, किंतु जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का है, तो ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र केवल डिजिटल रूप में ही मान्य होंगे।
- 30.2 प्रवेश के समय आवेदक की निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां (जो लागू हों) जांच के लिये लानी होगी। साथ में स्वयं सत्यापित एक-एक प्रतिलिपि साथ में लेकर आवें। इनके अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

स.क्र.	प्रमाण पत्रों का विवरण	प्रपत्र क्र.
1.	व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/अंकसूचियां	
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया डिजिटल प्रमाणपत्र ।	प्रपत्र एक
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया हुआ।	प्रपत्र दो
4.	फिजिकली हैंडिकैप्ड (अपंग) आवेदकों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल अथवा अस्थि विशेषज्ञ द्वारा दिया हुआ।	प्रपत्र तीन
5.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियां, पौत्र/पौत्री, नाती/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया हुआ हो। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हो।	प्रपत्र चार
6.	सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक/ अर्द्ध सैनिक बल अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। कार्यरत सैनिक अपने यूनिट के आफीसर कमांडिंग का प्रमाण पत्र	प्रपत्र पांच
7.	संचालनालय कौशल विकास के अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो	प्रपत्र छः
8.	पंजीकृत अनाथ आश्रम का प्रमाण पत्र (जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।	प्रपत्र सात
9.	जिले के मूल निवासी का प्रमाण पत्र	प्रपत्र आठ
10.	मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र	प्रपत्र नौ
11.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण पत्र	प्रपत्र दस
12.	प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाने वाले शपथ पत्र	प्रपत्र ग्यारह
13.	संस्था से नाम काटने हेतु प्रपत्र।	प्रपत्र बारह
14.	अंतिम शैक्षणिक संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र।	

स.क्र.	प्रमाण पत्रों का विवरण	प्रपत्र क्र.
	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर अन्य राज्य से शिक्षा प्राप्त की हो तो, मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 381-2417-1-3-74 दि 11.6.15 के साथ संलग्न प्रपत्र पर ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा निवास स्थान प्रमाण-पत्र (ग्राम/नगर/तहसील/जिले के निवासी होने का) संस्था के प्राचार्य/किसी राजस्व अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी का भी मान्य होगा।	

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की .jpeg स्केन कॉपी अपलोड की जाये -

1. म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र
4. 10 वीं की अंकसूची
5. विकलांगता प्रमाण पत्र
6. माता-पिता के स्वामित्व में भूमि की जानकारी का राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) के लिये

27. **समकक्षता से संबंधित जानकारी** -सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ सी-3-5/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018 के अनुसार 10वीं उत्तीर्ण आवेदक यदि आईटीआई में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो आईटीआई उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षणार्थी को 12वीं की अंकसूची प्राप्त हो सकती है। प्रावधान निम्नानुसार है-

- I. जो छात्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के उक्त दो विषयों में भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें छात्र की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप कक्षा 10वीं/12वीं की विज्ञान संकाय की समकक्षता प्रदान करते हुए छात्रों को समेकित पांच विषयों की अंकसूची प्रदाय की जाएगी।
- II. वर्ष 2021 या उसके पश्चात प्रवेशित नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आईटीआई के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के इंजीनियरिंग ट्रेड्स के 03 विषय क्रमशः 1-ट्रेड थ्योरी, 2-फॉरमेटिव असेसमेंट 3- प्रेक्टिकल की परीक्षा संचालित की जाकर इन 03 विषयों में उत्तीर्ण छात्र के प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंकों में से प्राप्तांक माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराए जायेंगे। शेष दो विषयों (सामान्य हिन्दी एवं वैकल्पिक विषय) की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाएगी।

28. **उच्च शिक्षा हेतु इग्नू (IGNOU) विस्तार केन्द्र की स्थापना-** आईटीआई उत्तीर्ण उच्च शिक्षा चाहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के अवसर प्रदान करने के लिये इग्नू (IGNOU) विस्तार केन्द्रों की जानकारी के लिये प्रशिक्षणार्थी <http://www.mpskills.gov.in/> एवं <https://dsd.mp.gov.in/> पर प्राप्त करें।

(ऑनलाईन आवेदन में भरी जाने वाली जानकारी)

आईटीआई ऑनलाईन काउंसलिंग-2023

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

1. समग्र आईडी .....
2. बोर्ड का नाम, जिससे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है. (ड्रॉप डॉउन) (एमपी बोर्ड/ सीबीएसई/ आईसीएससी/अन्य)
3. रोल नम्बर \*.....
4. आवेदक का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
5. पिता/पति/पालक का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
6. माता का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
7. जन्म तिथि\* (DD/MM/YYYY).....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
8. क्या आप दसवीं कक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हैं ? (हाँ/नहीं।)  
(विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी परिशिष्ट-एक पर है। आवेदक यह भलीभांति जांच लेवें कि वे संबंधित व्यवसायों के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हैं अथवा नहीं।)
9. क्या आप कौशल विकास संचालनालय के तहत कौशल विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण हैं ? हाँ/नहीं।
10. शैक्षणिक विवरण:-  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)

क	उत्तीर्ण परीक्षा	रोल नम्बर	विषय	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड	प्रतिशत	उत्तीर्ण वर्ष	प्रमाण पत्र में अंकित रोल नं.
1	दसवीं									

11. लिंग\* .....


12. श्रेणी\* (Gen./OBC/SC/ST) .....
13. धर्म\*.....
14. क्या आप मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं\* (हाँ/नहीं)
15. परिवार की वार्षिक आय (रूपये में) \*.....
16. परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) .....
17. पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र -पुत्री की स्थिति में माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक .....
18. क्या आप छात्रावास में रहना चाहेंगे ? (हाँ/नहीं।)
19. क्या आप आई.एम.सी. स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं ? (हाँ/नहीं।)  
(इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के लिए प्रशिक्षण शुल्क 15000/- तथा दो वर्षीय ट्रेड के लिए 20000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम प्रति छात्र निर्धारित होगा)
20. क्या आप ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रवेश के इच्छुक हैं? (हाँ/नहीं।)
21. क्या आप स्नातक हैं ? (हाँ/नहीं।)
22. वर्ग:- (हाँ/नहीं)
- (1) विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक .....
- (2) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी .....
- (3) सैनिक/भू.पू.सै. /अथवा उनके पुत्र, पुत्री.....
- (4) अनाथ .....
- (5) आई.टी.आई. (विभागीय) .....
- (6) NCC (A, B or C-Certificate) .....
23. विशेष श्रेणी:- (हाँ/नहीं)
- (1) भोपाल गैस पीडित .....
- (2) बाढ़ विस्थापित .....
- (3) नर्मदा बांध योजना .....
- (4) कौशल विकास केन्द्र से प्रशिक्षित .....
- (5) वामपंथ प्रभावित क्षेत्र .....
- (6) शत् प्रतिशत श्रवण बाधित .....
- (7) शत् प्रतिशत दृष्टि बाधित .....
24. वर्तमान पता:-
- (1) मकान नं. ....
- (2) गली/मोहल्ला.....
- (3) ग्रामीण /शहरी क्षेत्र.....
- (4) ग्राम/शहर का नाम.....
- (5) ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम .....

- (6) जिला \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (7) तहसील .....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (8) विकासखण्ड \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (9) विधानसभा क्षेत्र का नाम \*..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (10) पिन कोड .....
- (11) ई-मेल .....
- (12) मोबाइल नं. \* .....

25. स्थायी पता:- (यदि वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक है, तो चेक बॉक्स में क्लिक करें।)

- (1) मकान नं. ....
- (2) गली/मोहल्ला.....
- (3) ग्रामीण /शहरी क्षेत्र.....
- (4) ग्राम/शहर का नाम.....
- (5) ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम .....
- (6) जिला \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (7) तहसील ..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (8) विकासखण्ड \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (9) विधानसभा क्षेत्र का नाम \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (10) पिन कोड .....
- (11) ई-मेल .....
- (12) मोबाइल नं. \*.....

\* इन जानकारियों को भरना अनिवार्य है।



मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने प्रवेश के संबंध में सभी निर्देश/नियम ज्ञात कर लिए हैं तथा आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि मुझे प्रवेश प्राप्त होता है, तो मैं संस्था के नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूँगा/करूँगी, जो देश/प्रदेश/संस्था की शांति एवं अनुशासन के विपरीत हो अन्यथा मुझे संस्था से निष्काशित किया जा सकेगा।

विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
1.	आर्किटेक्चरल असिस्टेंट (NSQF)	24	403	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
2.	अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) (NSQF)	24	406	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
3.	ड्राफ्ट्समैन (सिविल) (NSQF)	24	437	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
4.	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) (NSQF)	24	439	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
5.	इलेक्ट्रीशियन (NSQF)	20	442	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (NSQF)	24	446	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
7.	इलेक्ट्रोप्लेटर (NSQF)	20	447	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
8.	फिटर (NSQF)	20	453	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
9.	इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस (NSQF)	24	474	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
10.	इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (NSQF)	24	477	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
11.	लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) (NSQF)	20	485	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
12.	मशीनिस्ट (NSQF)	20	493	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
13.	मशीनिस्ट (गाइंडर) (NSQF)	20	494	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
14.	मैकेनिक (मोटर व्हीकल) (NSQF)	24	502	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
15.	रेफ्रिजरेशन एंड एयर-कंडीशनिंग टेक्नियन (NSQF)	24	998	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
16.	मैकेनिक (ट्रैक्टर) (NSQF)	20	504	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
17.	मेकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग	20	507	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
18.	मेकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	20	508	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
19.	मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर (NSQF)	24	511	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
20.	मैकेनिक डीजल (NSQF)	24	515	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
21.	प्लम्बर (NSQF)	24	543	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
22.	शीट मेटल वर्कर (NSQF)	20	555	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
23.	टूल एंड डाई मेकर (डाईस एंड मौल्ड्स) (NSQF)	24	574	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
24.	टूल एंड डाई मेकर (प्रेस टूल्स, जिग्स और फिक्स्चर) (NSQF)	24	575	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
25.	टर्नर (NSQF)	20	578	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
26.	वेल्डर (NSQF)	20	584	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
27.	वायरमैन (NSQF)	20	592	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
28.	सर्वेयर (NSQF)	24	974	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
29.	सैनिटरी हार्डवेयर फिटर (NSQF)	20	552	06 माह	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
30.	सोलर टेक्निशियन (इलेक्टिकल)	20	561	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
31.	वेल्डर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग) (NSQF)	20	586	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	इंजीनियरिंग
32.	टेक्निशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स	24	1070	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
33.	एगो प्रोसेसिंग	24	402	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
34.	फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग (NSQF)	24	455	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
35.	बेकर एण्ड कन्फेक्शनर	24	407	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
36.	कॉस्मेटोलॉजी (NSQF)	24	409	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
37.	कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस (NSQF)	24	418	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
38.	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (VI) (NSQF)	12	420	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
39.	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (NSQF)	24	421	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
40.	डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर (NSQF)	24	431	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
41.	फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी (NSQF)	20	449	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
42.	फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट (NSQF)	24	451	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
43.	फूड बेवरेज एंड	20	456	एक	10 + 2 पाठ्यक्रम के	नॉन-इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
	सर्विस असिस्टेंट			वर्षीय	अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	
44.	फूड बेवरेज	24	457	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
45.	फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर (NSQF)	24	462	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
46.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी) (NSQF)	24	484	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
47.	लिथो- ऑफसेट मशीन माइनडर (NSQF)	20	492	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
48.	मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स (NSQF)	24	528	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
49.	ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर (NSQF)	24	532	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
50.	स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटोरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) (NSQF)	24	564	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
51.	स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटोरियल असिस्टेंट (हिंदी) (NSQF)	24	565	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
52.	सरफेस ऑर्नामेंटेशन तकनीक (एम्ब्रायडरी) (NSQF)	20	568	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
53.	डैरिंग	24	100	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
54.	क्राफ्ट्समेन फूड प्रोडक्शन (वेजीटेरियन) (NSQF)	20	423	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
55.	डाटा एंट्री ऑपरेटर (NSQF)	24	428	06 माह	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
56.	डेंटल लैबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्निशियन (NSQF)	24	430	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
57.	डिजिटल फोटोग्राफर (NSQF)	20	433	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
58.	हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट (NSQF)	24	466	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
59.	हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर (NSQF)	24	467	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
60.	हॉर्टिकल्चर (NSQF)	24	468	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
61.	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग (NSQF)	24	470	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
62.	हाउस कीपर (NSQF)	24	471	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
63.	ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव (NSQF)	24	472	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
64.	मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव (NSQF)	24	498	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
65.	फिजियोथेरेपी टेक्निशियन (NSQF)	20	540	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
66.	प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर (NSQF)	20	542	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
67.	स्पा थेरेपी (NSQF)	24	562	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग

स.क्र.	ट्रेड का नाम	प्रत्येक यूनिट मे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	ट्रेडकोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग
68.	ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट (NSQF)	24	577	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	नॉन-इंजीनियरिंग
69.	ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स (NSQF)	16	535	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
70.	ड्रोन टेक्नीशियन (NSQF)	24	2019	06 माह	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ अथवा समकक्ष एवं 12वीं कक्षा के लिए NIOS के माध्यम से निरंतर नियमित स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हों ।	नॉन-इंजीनियरिंग
71.	सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट (NSQF)	24	416	दो वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
72.	सॉईल टेस्टिंग एण्ड क्रॉप टेक्नीशियन (NSQF)	20	559	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	नॉन-इंजीनियरिंग
73.	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3डी प्रिंटिंग (NSQF)	20	400	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ	इंजीनियरिंग
74.	अर्ली चाईल्ड एजुकैटर (NSQF)	24	986	एक वर्षीय	10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग
75.	वुड वर्क टेक्नीशियन (कारपेंटर) (NSQF)	24	414	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	इंजीनियरिंग
76.	मेसन (बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर) (NSQF)	24	499	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	इंजीनियरिंग
77.	पेंटर जनरल (NSQF)	20	536	दो वर्षीय	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	इंजीनियरिंग
78.	ड्रेस मेकिंग (NSQF)	20	440	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग
79.	सुइंग टेक्नोलॉजी (NSQF)	20	554	एक वर्षीय	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	नॉन-इंजीनियरिंग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण - पत्र  
कार्यालय - अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ..... जिला ..... मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....  
प्रमाण पत्र क्रमांक .....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

माता/पिता/पति/पालक का नाम..... निवासी

ग्राम/नगर.....

वि.ख. .... तहसील..... जिला.....

संभाग ..... के ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और

इस जाति/जनजाति को संविधान 341/343 के अधिनियम मध्यप्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1975 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है ।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....

माता/पिता/पति/पालक का नाम.....

अनुसूचित जाति/जनजाति का है ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .....है।

कौशल यत्न

दिनांक %-----

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम एवं सील

पदनाम

मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये  
प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों का प्रारूप  
प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

तहसील----- जिला----- मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक----- जाति प्रमाण पत्र

दिनांक -----

प्रमाण पत्र क्रमांक -----

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----पिता/पति का नाम----- एवं माता का नाम -----ग्राम----- तहसील----- जिला----- मध्यप्रदेश ----- जाति के हैं । यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक----- निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कयाण विभाग की अधिसूचना क्र0 एफ8.5 पच्चीस-4-8-4 दिनांक 26 दिसम्बर1984
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4--97 दिनांक 2 अप्रैल 1997
3. इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- क्रीमीलेयर(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26-93-1आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ----- के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र /सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रूपये ----- है ।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी-----पिता/पति----- सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम -----तहसील ----- जिला----- मध्यप्रदेश के निवासी हैं ।

स्थान-----

हस्ताक्षर/सील

दिनांक-----

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

आधार नम्बर-

समर्थ नम्बर -

मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग  
विकलांग उम्मीदवारों के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र

इस छात्रवृत्ति के प्रयोजन के विकलांग व्यक्ति वह हैं, जिसमें रोगी शारीरिक गड़बड़ी अथवा बेरीलापन हो जिसके कारण उसकी हड्डियां मांसपेशियां या जोड़ों के सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा हो ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अर्थात् डॉ. .... रजिस्ट्रेशन नं. ....  
उम्मीदवार की जाँच की और वह उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत अपंग है:-

1. उम्मीदवार का नाम : .....
2. माता/पिता का नाम : .....
3. स्त्री/पुरुष : .....
4. अनुमानित आयु : .....
5. पहचान चिन्ह : .....
6. (क) अपंगता का प्रकार (नीचे दी गई संबंधित अंश पर सही का निशान लगा दें -पोलियो के बाद लकवा, चतुरंगघात अस्थिभंग आदि का वृत्तियोग, तांत्रित घात, उध्वेशाखा, अधःशाखा, पंगुता, पीड़ाकारी, लघुता, विरूपता, जन्मजात उपर्जित घुटने के नीचे नितम्ब, हैसिप्रेल्वेटीमा फओप्रर्टस, कलाई, अंगुलियां, कुहनी के नीचे पीर कसाटे पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय (ई.एन.टी.) आंख, कान, मूक की अपंगता को छोड़कर)
- (ख) अपंगता की मात्रा प्रतिशत का अनुमान (मैंक ब्राईड सकेल) शरीर रचना, क्रियात्मक (रोगीकृत निर्धारित, परीक्षाकृत, निर्धारित ) आर्थिक आधार पर प्रतिशतता के रूप में उल्लेख करें, अशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर ।
- (ग) उपकरण के प्रयोग (नीचे की सूची से संबंधित अंश पर सही का निशान लगा दें) केलीपर, बैसाखी घुटने के उपर,घुटने के नीचे, कृत्रिम अंग, घड़ी एक पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय कुहनी के नीचे हैमिपेल्वेरटोमी स्कंध सीधे ।
- (घ) कोई आपरेशन किया गया हो या बनवाया गया हो ।
- (द) फोटो (साक्ष्यांकित) ।  
फोटो में यथासंभव यह दिखाया जाये कि अशक्तता का स्वरूप क्या है और किस प्रकार का उपकरण (यदि हो) प्रयुक्त किया गया है ।
7. अशक्तता का स्वरूप और उसकी मात्रा को स्पष्ट करने के लिए कोई अन्य विवरण, जिसे सर्जन देना चाहे ।

विकलांग सर्जन / असिस्टेंट  
सर्जन के हस्ताक्षर

.....  
उम्मीदवार के हस्ताक्षर  
स्थान:  
दिनांक:

पदनाम .....  
कार्यालय की मोहर .....  
पता .....

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

- i. प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी.....  
(उम्मीदवार का नाम) श्री/ श्रीमती .....  
(उम्मीदवार के माता/पिताका नाम) के/की वैध पुत्र/पुत्री हैं। जो श्री/श्रीमती  
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध  
पुत्र/पुत्री हैं।
- ii. श्री/श्रीमती .....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) मध्यप्रदेश के  
जिला ..... (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम  
सेनानी के पंजी में क्रमांक ..... पर पंजीकृत हैं ।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर कलेक्टर  
(कार्यालय की मोहर)



सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक /अर्द्धसैनिक वर्ग के लिए प्रमाण - पत्र  
भाग - (अ)

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती ..... जो  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ..... प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती  
..... के पुत्र/पुत्री/आश्रित हैं ।

श्री .....


(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक भूतपूर्व सैनिक हैं।  
सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ..... पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक  
..... था।

स्थान .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

कार्यालयीन सील



विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रमाण-पत्र

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/संचालनालय में ..... के पद पर कार्यरत हैं । यह प्रमाण पत्र उनके पुत्र/पुत्री ..... को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के लिए जारी किया जाता है।

स्थान:

ग्राम / नगर / तहसील:

संस्था / कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर  
(कार्यालय सील)



अनाथ आश्रम में पलने वाले आवेदकों के लिये प्रमाण-पत्र  
 क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. / श्रीमती ..... अनाथ आश्रम .....जिला ..... के प्रशिक्षणार्थी हैं। इनके रहने, पालन पोषण एवं देखभाल इसी आश्रम के अंतर्गत किया जाता है । श्री/कु./श्रीमती ..... इस आश्रम में जन्म से/दिनांक ..... से पल रहे हैं । उनके नाम की प्रविष्टि अनाथ आश्रम के पंजीयन सरल क्रमांक ..... दिनांक ..... पर की गई है तथा यह आश्रम / अनाथालय म.प्र.शासन के समाज कल्याण एवं पंचायत विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त है जिसका संदर्भ क्रमांक .....दिनांक ..... है ।

दिनांक:

स्थान:



अनाथ आश्रम प्रमुख के हस्ताक्षर  
 हस्ताक्षर एवं कार्यालय सील  
 पंजीयन क्रमांक  
 प्रति हस्ताक्षरित  
 उप संचालक  
 पंचायत एवं समाज कल्याण  
 जिला कार्यालय.....

जिला एवं राजस्व संभाग के निवासी का प्रमाण - पत्र

क्रमांक .....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु/ श्रीमती.....आत्मज/ आत्मजा / पत्नी ..... मध्यप्रदेश के ग्राम .....तहसील.....जिला ..... के निवासी है । जो ..... राजस्व संभाग में आता है । यह प्रमाण-पत्र श्री / कु/ श्रीमती ..... को राजस्व संभाग की शैक्षणिक / प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए प्रदान किया जाता है ।

दिनांक:

स्थान:



हस्ताक्षर  
प्राधिकृत अधिकारी  
(नाम एवं सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता प्रमाण- पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती/ कु. ....  
आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री ..... जो  
तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश  
के निवासी है,

क्योंकि वह -

1- मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई हैं ।

अथवा

वह / उनका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

2- उनके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है ।

3- वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं ।

4- इसके अतिरिक्त अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हैं ।

अथवा

उन्होंने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है:-

अ. 10+2 प्रणाली की दसवी / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

ब. आठवीं कक्षा की परीक्षा

-----  
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम एवं सील

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र


संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....के पुत्र  
/ पुत्री/ श्री / कुमारी ..... जो म.प्र. की आई.टी.आई.में  
प्रवेश का / की उम्मीदवार है, जम्मू एवं काश्मीर राज्य से विस्थापित है ।

श्री ..... (पिता का नाम) एवं उनका परिवार  
वर्तमान में मध्यप्रदेश ..... (शहर एवं जिले का नाम) में दिनांक  
..... में निवास कर रहा हैं ।

.....  
हस्ताक्षर  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )  
( कार्यालयीन सील )



प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा पत्र  
(शपथ पत्र)

मैं -----पिता श्री -----व्यवसाय -----  
----- सत्र- अगस्त 2023, संस्था ----- में प्रवेश लेना  
चाहता/चाहती हूँ।

मैं, यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान यदि मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट/हानि पहुँचती है, तो वह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैं संस्था/विभाग के ऊपर किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर  
दिनांक  
स्थान



पिता/पालक के हस्ताक्षर  
दिनांक  
स्थान

प्रति,

प्राचार्य महोदय  
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  
मध्यप्रदेश

विषय- संस्था से नाम काटने हेतु आवेदन।

महोदय,

विनम्र अनुरोध है कि मैं निजी कारणवश संस्था में अपना प्रशिक्षण जारी रखने में असमर्थ हूँ। अतः आप संस्था से मेरा नाम खारिज कर मेरी TC मुझे प्रदान करने का कष्ट करें।

मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा जमा की गई प्रशिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं कॉशन मनी राजसात हो जाएगी तथा मूझे वापस प्राप्त नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं फीस वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं करूँगा।

दिनांक .....

स्थान .....

भवदीय

हस्ताक्षर.....

प्रशिक्षणार्थी का नाम .....

व्यवसाय का नाम.....

